बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

संकल्प

राज्य सरकार ने बिहार राज्य प्रावैधिकी शिक्षा पर्षद को पुर्नगठित करने का निर्णय लिया है। पुनर्गठित में निम्नलिखित सदस्य होंगेः–

1.	मंत्री, विज्ञान एवं प्रावैधिकी, बिहार, पटना	अध्यक्ष
2.	सचिव, विज्ञान एवं प्रावैधिकी, बिहार, पटना	उपाध्यक्ष
3.	निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी, बिहार, पटना	सदस्य
4.	उत्तरी क्षेत्रीय समिति, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा पर्षद् के प्रतिनिधि	सदस्य
5.	अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना	सदस्य
6.	पोलिटेकनिक एवं खनन संस्थान के वरीयतम प्राचार्य	सदस्य
	उद्योग के प्रतिनिधि	
7.	सी॰ आई॰ आई॰ के प्रतिनिधि	सदस्य
8.	टेल्को के प्रतिनिधि	सदस्य
	गैर सरकारी सदस्य	
9.	श्री हफीज अंसारी, महासचिव, जिला जनता दल, पूर्वी चम्पारण	सदस्य
10.	श्री विश्वनाथ प्रसाद, कोलहबड़वा टोला, मोतिहारी	सदस्य
11.	सचिव, राज्य प्रावैधिकी शिक्षा पर्षद	सदस्य सचिव

कार्यकाल की अवधि, पर्षद के कृत्य एवं शक्तियाँ

1) पर्षद की कार्यावधि संकल्प को निर्गत की तिथि से तीन वर्ष की होगी।
2) विश्वविद्याालय शिक्षा और शिल्पी प्रशिक्षण को छोड़कर राज्य में सभी स्तरों पर तकनीकी शिक्षा से संबंधित विकास पर सरकार को सलाह देना।
3) अपने क्षेत्रा में स्कीमें बनाने में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा पर्षद और इसकी पूर्वी क्षेत्राीय समिति के सम्पर्क में काम करना।
4) राज्य में तकनीकी शिक्षा देने के लिए मौजूदा संस्थानों का पुनर्गठन या विस्तार कराने तथा नई संस्थानों को स्थापित करने और उसमें अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए सिफारिश करना।
5) तकनीकी शिक्षा संस्थाओं का संबंधन अभिज्ञात करना वशर्ते कि वे अपना सन्तोषप्रद स्टैण्डर्ड बनाए रखें और बोर्ड द्वारा विहित सिलेबस का पालन करें।
6) तकनीकी शिक्षा की विभिन्न शाखाओं के लिए बोर्ड नियुक्त करना।
7) डिप्लोमा प्रदायी अभियंत्राण एवं खनन विद्यालयों तथा महिला औद्योगिक विद्यालयों के लिए पाठ्यक्रमों और शिक्षा स्तर साज सामान और भवन स्थान विनिहित करना।
8) इन संस्थानों को साहाय्य अनुदान का भुगतान करना।
9) इन संस्थाओं के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा पर्षद द्वारा विहित न्यूनतम स्टैण्डर्ड के अनुरूप परीक्षा संचालित करने डिप्लोमा तथा प्रमाण पत्रा देने की व्यवस्था करना।
10) बोर्ड द्वारा संचालित परीक्षाओं के दौरान कदाचार और अनुशासनहीन कार्यों के लिए अनुशासनिक कार्रवाई करना।
11) संस्थाओं के आवधिक निरीक्षण की व्यवस्था करना और आवश्यकतानुसार उनके सुधार के लिए सरकार के पास सिफारिश करना।
12) तकनीकनी शिक्षा विकास के लिए उद्योग के साथ सहयोग–संबंध स्थापित करना।
13) तकनीकी शिक्षा से संबंधित किसी अन्य विषय में सरकार को सलाह देना।
14) पर्षद को अपनी कृत्यों के पालन करने के लिये यथावश्यक तकनीकी विशेषज्ञों को सहयोजित करने की शक्तियाँ होंगी।

15) पर्षद को अपनी कृत्यों के पालन कराने में सहायता हेतु समितियों के गठन करने की शक्तियाँ होगी।

16) पर्षद अपने कार्य सम्पादन और कोरम आदि के संबंध में आवश्यक नियम बनायेगा। पर्षद की बैठक आवश्कतानुसार बारम्बार की जायेगी। किन्तु हर छः महीने में कम से कम एक बैठक अवश्य होगी। पर्षद द्वारा नियुक्त किसी स्थायी समिति के सभी गैर सरकारी की पदावधि यथास्थिति नियुक्ति या मनोनयन की तारीख से तीन वर्ष की होगी। परन्तु किसी निकाय विशेष के सदस्य या किसी नियुक्ति विशेष के धारक की हैसियत से नियुक्त या मनोनीत किसी सदस्य की सदस्यता उस निकाय का सदस्य या इस पद का धारक न रहने पर स्वतः समाप्त हो जायेगी। पर्षद के गैर सरकारी सदस्यों में से किसी आकस्मिक रिक्ति पर नियुक्त कोई व्यक्ति उस शेष अवधि तक ही पर्षद का सदस्य रहेगा जिस अवधि तक वह व्यक्ति जिसके स्थान में उसे रखा गया है सदस्य बना रहता।

17) पर्षद एवं समितियों के सरकारी सदस्य अपने विभागों से पर्षद की बैठक में शामिल होने के लिए यात्राा और अन्य भत्तों के हकदार रहेंगें। पर्षद एवं समितियों के गैर सरकारी सदस्यों को बिहार यात्राा भत्ता नियमावली में यथा विनिहित प्रथम कोटि के पदाधिकारियों को अनुमान्य यात्राा भत्ता का भुगतान किया जायेगा। गैर सरकारी सदस्यों के यात्राा भत्ता मद खर्च 2203–तकनीकी शिक्षा– 001 निदेशन और प्रशासन राज्य तकनीकी शिक्षा पर्षद में विकलनीय होगा। विधान मंडल के सदस्य सरकारी अधिसूचना 13592 दिनांक 31.10.75 के आधार पर यात्राा भत्ता एवं दैनिक भत्ता पायेंगें।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इस संकल्प को बिहार गजट में प्रकाशित किया जाय और इसकी एक–एक प्रति सभी संबंधित व्यक्तियों को भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह०/– शिव प्रसाद

सरकार के अवर सचिव,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग।

ज्ञापांक– 1407 पटना, दिनांक 24.07.96

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को जानकारी के लिए इस अनुरोध के साथ भेजी जाती है कि वे इसे बिहार गजट के अगले अंक में प्रकाशित करें और सभी संबंधित व्यक्तियों को इसकी एक–एक प्रति भेज दें।

ह०/– शिव प्रसाद

सरकार के अवर सचिव,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग।

ज्ञापांक– 1407 पटना, दिनांक 24.07.96

प्रतिलिपि :–महालेखाकार, बिहार, पटना/राँची /वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/– शिव प्रसाद

सरकार के अवर सचिव,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग।

ज्ञापांक– 1407 पटना, दिनांक 24.07.96

प्रतिलिपि :– सचिव, बिहार राज्य तकनीकी शिक्षा पर्षद्, कृष्णानपुरी, पटना तथा पर्षद के सभी सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. सचिव, राज्य प्रावैधिकी शिक्षा पर्षद, बिहार क्रमांक 4, 7 एवं 8 में उल्लेखित विभागों से पत्राचार कर मनोनीत प्रतिनिधि के नाम की सूचना प्राप्त कर लेंगे।

3. विभाग के सभी पदाधिकारियों/कर्मचारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव